

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1049

रीवा, दिनांक 5.8.21


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत वाणिज्य सहायक अन्तर्गत वाणिज्य के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

वाणिज्य अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1	रिक्त
	28(2) दो	1	डॉ० आर०पी० गुप्ता प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, शास० कल्या महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० पी०पी० पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, शास० महाविद्यालय, अमरपाटन, रातना (म०प्र०)
	28(2) तीन	1	रिक्त
	28(2) चार	1	डॉ० एकता तिवारी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० विवेक कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, शास० महाविद्यालय, कोतमा, जिला-अनूपपुर (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1	प्रो० संजय तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य, नवयुग महाविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)
		2	डॉ० मनीष शुक्ला, प्राध्यापक, वाणिज्य, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० आर०पी० गुप्ता को वाणिज्य अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)